मुख्यालय से बाहर है। पूर्वानुसार
30/8/22 को पेश हो।

30/8/22	पत्रावली पेश हुई। अधि० संघ उज्जैन के कार्य स्थगित रखा है। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 6/9/22 को पेश हो।
6/9/22	पत्रावली पेश हुई। अधि० आवेदक उपा तहसीलदार उज्जैन से जवाब प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ जवाब तहसीलदार दिनांक 13/9/22 को पेश हो।
13/9/22	पत्रावली पेश हुई। अधि० आवेदक उपा अधि० आवेदक की बहस सुनी गयी त० उज्जैन को सुना गया पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया वादी का वाद विक्री योग्य पाया गया वादी का वाद अंतिम

तारीख

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	वाद से डिक्री किया जाता है मिसल प्रधान से निकाला जाकर प्राथमिक पत्रावली किया जाकर पत्रावली फैसल मुताबिक होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)

तारीख हुक्म

Scanned with ACE Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

ासीन अधिकारी:– श्री राजीव शर्मा (आर.ए.एस)
द क्रमांक:– 85 / 2018

विरजी पुत्र सुखचन्दी जाति जाटव निवासी भैंसा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

..............वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील उच्चैन ....असल प्रतिवादी

2. अशोक
3. राजकुमार } पुत्रान स्व0 होरीलाल
4. रामकिशन पुत्र सुम्मेरा
5. खुशीराम पुत्र मंगली
6. दयाचन्द
7. चन्द्रभान } पुत्रान जगदीश
8. नरेन्द्र
9. पुष्पा
10. उंर्मिला } पुत्री जगदीश
11. राज्जो वेवा जगदीश
12. मोती पुत्र सेडू
13. हरी पुत्र सेडू
14. सामरी पुत्री सेडू
15. हरभेजी पत्नी खुशीराम
16. सुन्दरसिंह पुत्र मंगतीराम
17. रामखिलाडी पुत्र रघुपत

समस्त जातियान जाटव
निवासी भैंसा तहसील उच्चैन

..............तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0ए0

दिनांक:– 13.09.22

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

निर्णय

Scanned with ACE Scanner

वादी द्वारा यह वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,89 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खाता संख्या नया 493 खसरा नं0 2336/1266 रकबा 9 बीघा 6 विस्वा बांकै ग्राम भैंसा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर में स्थित है। उक्त आराजी में से 15/93 हिस्सा वादी विरजी ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 19.05.1997 को निरोती पुत्र मूला से क्रय किया है तथा वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 17 अपने-अपने हिस्से पर शांतीपूर्वक काश्त करते चले आ रहे हैं। राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारियों ने सहबन से वादी का नाम विरजी के स्थान पर चिरंजी दर्ज कर दिया है जिसे शुद्व कराने हेतु वादी ने राजस्व कर्मचारियों से निवेदन किया लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने स्पष्ट मना कर दिया एवं न्यायालय से आदेश लाने के लिए कहा। उक्त कार्यवाही राजस्व कर्मचरियों द्वारा नहीं करने से व्यथित होकर वादी ने यह वादपत्र इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खाता संख्या नया 493 खसरा नं0 2336/1266 रकबा 9 बीघा 6 विस्वा बांकै ग्राम भैंसा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर में वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में चिरंजी को कलमजन कर विरजी शुद्व किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 30.11.2018 को पैरोकार सरकार ने न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा एवं दिनांक 08.02.2022 को प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 17 की ओर से श्री लखन लाल सक्सेना एड0 उपस्थित हुए एवं इकबाल जवाब दावा पेश किया। दिनांक 06.09.2022 को तहसीलदार उच्चैन से जवाब प्राप्त हुआ।

पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2072-75 एवं गिरदावरी सम्वत् 2056-59 एवं गिरदावरी सम्वत् 2060-63 का अवलोकन किया गया एवं तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार उच्चैन ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया कि जमाबंदी सम्वत् 2072-75 की खाता संख्या 493 में चिरंजी पुत्र सुखचन्दी दर्ज है जबकी नामान्तरण संख्या 1352 में खातेदार का नाम विरजी पुत्र सुखचन्दी कौम जाटव अंकित है तथा खातेदार का सही नाम भी विरजी पुत्र सुखचन्दी ही है।

अतः तहसीलदार उच्चैन की रिपोर्ट के आधार पर वादी विरजी पुत्र सुखचन्दी के नाम खसरा नं 2336/1266 रकबा 9 बीघा 6 विस्वा बांकै ग्राम भैंसा तहसील उच्चैन भरतपुर में गलत इन्द्राज हो रहे चिरंजी पुत्र सुखचन्दी को कलमजन कर विरजी पुत्र सुखचन्दी किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजीव शर्मा(आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर

Scanned with ACE Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन(भरतपुर)

क्रमांक/राजस्व/2022/ 478

दिनांकः– 19/9/22

तहसीलदार,
तहसील उच्चैन।

विषयः– वाउनवानी प्रकरण विरजी बनाम राजस्थान सरकार में निर्णय दिनांक 13.09.2022 की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण विरजी बनाम राजस्थान सरकार दिनांक 13.09.2022 को न्यायालय द्वारा डिक्री किया जा चुका है अतः आप मुताबिक निर्णय दिनांक 13.09.2022 नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवायें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

सहायक कलक्टर
उच्चैन

Scanned with ACE Scanner